भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2695

उत्तर देने की तारीख 09 मार्च, 2026
सोमवार, 18 फाल्गुन, 1947 (शक)

पीएमकेवीवाई के तहत प्रशिक्षण केंद्रों की निगरानी के लिए तंत्र

2695. श्री बाल्या मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रेः

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री कौशल विकास योजनाओं (पीएमकेवीवाई) के अंतर्गत कुछ राज्यों में प्रशिक्षण केन्द्रों पर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दबाव डालने और इस योजना के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने के लालच में केन्द्र संचालकों द्वारा छात्रों की फर्जी उपस्थिति दर्ज किए जाने के संबंध में गंभीर शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे केन्द्रों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई है और क्या इन केन्द्रों की निगरानी के लिए कोई नया तंत्र विकसित किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पीएमकेवीवाई की पहुंच सुनिश्चित करने और स्थानीय भाषा और संस्कृति के अनुसार पाठ्यक्रम विकसित करने के लिए महाराष्ट्र के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना करने पर विचार कर रही है ताकि पात्र उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठा सकें; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का वर्तमान चरण, पीएमकेवीवाई 4.0, जो वित्त वर्ष 2022-23 से लागू है, एक मांग-आधारित योजना है। प्रशिक्षण लक्ष्यों का आवंटन परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के मूल्यांकन पर आधारित है।

विस्तारशीलता, गुणवत्ता आश्वासन और निगरानी को बढ़ाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने स्वतंत्र निरीक्षण हेतु कौशल समीक्षा केंद्र (केएसके) की स्थापना की है। केएसके देशभर में स्किल इंडिया केंद्रों (एसआईसी) का वर्चअुल और भौतिक निरीक्षण करता है।

एमएसडीई नियमित रूप से कौशल प्रशिक्षण केंद्रों की निगरानी करता है। दिनांक 31.12.2025 तक, एमएसडीई ने भारत भर में 3,695 प्रशिक्षण केंद्रों की वर्चुअल निगरानी की। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण की गुणवत्ता में कमियों की पहचान करने और सुधार करने के लिए पीएमकेवीवाई राज्य और जिला समन्वयकों द्वारा नियमित भौतिक निरीक्षण किए जाते हैं। इसी प्रयास के तहत, 2,393 केंद्रों का भौतिक निरीक्षण किया गया। इन निरीक्षणों के दौरान, निरीक्षण के समय उम्मीदवारों की अनुपस्थिति, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, उपस्थिति अभिलेखों में विसंगति आदि अनियमितताएं पाई गईं।

इन निष्कर्षों के आधार पर, मंत्रालय ने बेहतर गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण को सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। गुणवत्ता आश्वासन की निगरानी के लिए मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

i. निरीक्षण और डेटा सत्यापन के बाद 383 केंद्र नियमों का पालन नहीं कर रहे पाए गए।
ii. शुरू की गई कार्रवाइयों में कारण बताओ नोटिस जारी करना, प्रशिक्षण केंद्र को निलंबित करना, भुगतान रोकना, मान्यता और संबद्धता रद्द करना, ब्लैकलिस्ट करना, भुगतान की वसूली और एफआईआर दर्ज करने सहित अन्य दंडात्मक कार्रवाइयां शामिल हैं।

इस योजना में निगरानी, पारदर्शिता और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाने और पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय ने निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. पीएमकेवीवाई योजना के तहत उम्मीदवारों का नामांकन आधार कार्ड पर आधारित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजना के तहत फर्जी नामांकन न हों।

ii. प्रशिक्षण केंद्रों को पीएमकेवीवाई के तहत सभी उम्मीदवारों के लिए एईबीएएस उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है, जिसमें धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने और उम्मीदवार की उपस्थिति को पता करने के लिए चेहरे की प्रमाणीकरण और जियो-फेसिंग-आधारित सत्यापन का उपयोग किया जाता है, जो प्रशिक्षण केंद्रों को किए जाने वाले भुगतानों से सीधे जुड़ा हुआ है।

iii. अवार्डिंग बॉडीज, प्रशिक्षण भागीदारों और राज्य सरकार को प्रशिक्षण गतिविधियों की जमीनी स्तर पर निगरानी करने का निर्देश दिया गया है।

iv. पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत संशोधित निगरानी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और अनुपालन न करने के मामलों में, जवाबदेही सुनिश्चित करने और सार्वजनिक निधि के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए दंड ग्रिड के अनुसार ब्लैकलिस्टिंग, निलंबन, वित्तीय वसूली और कानूनी कार्रवाई सहित उचित दंड लगाए जाते हैं।

v. निधि वितरण से पहले समनुरूप सत्यापन के लिए औपचारिक रूप से किस्त-वार पूर्व-भुगतान सत्यापन प्रक्रिया और जाँच सूची।

vi. कॉल सत्यापन, औचक दौरे करने आदि जैसी विभिन्न पद्धतियों के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्रों की प्रभावी ढंग से निगरानी की जा रही है।

vii. इसके अलावा, निष्पक्ष, पारदर्शी और मानकीकृत मूल्यांकन और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत मूल्यांकन और प्रमाणन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की गई है।

viii. अनुपालन न करने की स्थिति में, जवाबदेही सुनिश्चित करने और सार्वजनिक निधि के किसी भी दुरुपयोग को रोकने के लिए दंड ग्रिड (सूची) के अनुसार ब्लैकलिस्टिंग, निलंबन, वित्तीय वसूली और कानूनी कार्रवाई सहित उचित दंड लगाए जाते हैं।

(ग) और (घ) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0 के अंतर्गत, कौशल मेलों, स्किल इंडिया डिजिटल हब (सिद्ध) के माध्यम से डिजिटल आउटरीच और संबंधित परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) द्वारा संचालित मोबिलाइजेशन गतिविधियों जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से आउटरीच और मोबिलाइजेशन को समर्थन दिया जाता है। वर्तमान में, पीएमकेवीवाई 4.0 के अंतर्गत मोबाइल प्रशिक्षण इकाइयों की स्थापना के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है। हालांकि, यह योजना मांग-आधारित दृष्टिकोण का अनुसरण करती है और निर्धारित पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अधीन, ग्रामीण, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों सहित पूरे देश में कौशल, पुनः कौशलीकरण और कौशलोन्नयन के अवसर प्रदान करती है।

इसके अलावा, पीएमकेवीवाई के तहत यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाते हैं कि प्रशिक्षण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हो और उम्मीदवारों के लिए सुलभ हो। जॉब रोल्स और पाठ्यक्रम राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढाँचे (एनएसक्यूएफ) के अनुरूप हैं और सेक्टर स्किल काउंसिल (एसएससी), उद्योग परामर्श और जिला कौशल विकास योजनाओं (डीएसडीपी) से प्राप्त सुझावों के आधार पर तैयार किए जाते हैं। प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध कराई जाती है और उम्मीदवारों को प्रशिक्षण सामग्री को बेहतर ढंग से समझने में सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यकतानुसार क्षेत्रीय भाषाओं में भी अनुवादित कराई जाती है।

*****